रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 273] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 1972/अग्रहायण 15, 1894
No 273] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 1972/AGRAHAYANA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th December 1972

SUBJECT.—*Supply of imported steel for export production during April 1972-March 1973—Issue of Release Orders for steel items for executing anticipated export orders*

No. 179-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No 56-ITC(PN)/72, dated the 18th April, 1972, in terms of which the registered exporters are being supplied imported steel for the execution of export orders, held by them and for which the requisite quantum of indigenous steel is not available.

2. With a view to enable the manufacturer exporters to accept overseas orders for delivery at short term notice, it has been decided to entertain applications from such registered exporters who are having a minimum annual export performance of more than Rs 10 lakhs (f o b) in value during April 1971-March 1972 or as on 31st October, 1972 during April, 1972—September, 1972, for the grant of release orders on the Hindustan Steel Limited as exporters' buffer stocks for the following categories of steel items:—

(a) Mild steel billets

(b) Mild steel wire rods

(c) High carbon wire rods.

(d) Bars and rods.

(e) Hot rolled strip/sheet.

(f) Mild steel angles.

(g) Other structurals viz. beams, channels etc.

(h) Mild steel plates.

(i) Hot rolled/cold rolled sheets.

The value of release orders to be issued in terms of this Public Notice will not exceed Rs. ten lakhs for any individual exporter, eligible under this Public Notice and will be fully adjusted against future exports within 18 months of the date of issue of the release order. Applications from the registered exporters under this Public Notice should be addressed to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi and will be required to be made through the Engineering Export Promotion Council, Calcutta and the D.G.T.D. (Export Promotion Cell) but will not require the clearance of Iron and Steel Controller, Calcutta. While making such applications the parties should indicate the nature of the products they wish to export, the percentage of contents of the steel items, mentioned in para 2 above, and the likely f.o.b. value of the exports to enable a determination of the export obligation for the purposes of the bank guarantee/legal undertaking referred to in para 6 below.

4. The exporters will be required to file quarterly returns with the Chief Controller of Imports and Exports through the Engineering Export Promotion Council and the D.G.T.D. (Export Promotion Cell) indicating the actual quantities procured as buffer stock against specific release orders issued in terms of this Public Notice and the specific utilisation of these buffer stocks to facilitate export production, as in the proforma (Annex. I). Adjustment of quantities utilised for exports against the release orders will be permissible only to the extent certified as reasonable by the D.G.T.D.

5. Exports made in terms of this Public Notice will not qualify for further import of steel under Public Notice No. 56-ITC(PN)/72, dated the 18th April, 1972, as amended. The supply of steel on the basis of this Public Notice will, however, be at J.P.C. price or the ruling H.S.L. price (where the J.P.C. price is not available) *plus* 2 per cent thereof.

6. The applicants will be required to give a bank guarantee to the licensing authority for a value equal to 50 per cent of the value of imported steel for which release order is issued for fulfilment of the required export obligation, referred to in para 3 above. Alternatively, the exporters may also give a legal undertaking (Annex. II to the Public Notice) regarding their export obligation.

ANNEXURE I

Proforma for submission of quarterly returns of receipt of imported steel items for export production as per Public Notice No. [illegible] dated the 6th December, 1972 and utili-

Serial No.	Name of the party	Release Order				Procurement of materials against the Release Order		Utilisation for exports						Remarks
		No.	Date	Qty. MT	Value Rs. lakhs	Qty. MT	Date	Item of export	Qty. (in tonnes	Total f.o.b. value of export orders Rs. lakhs	Country of export	Date of export	Documentary evidence viz. Bank Certificate	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15

ANNEXURE II

Form of Legal Undertaking

An Agreement made this . . . . . day of. . . . . 197 between. . . . . , a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at. . . . . (hereinafter referred to as "THE COMPANY" which expression shall include its successors and assignees) of the one part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT", which expression shall include his successors (in office) of the other part. WHEREAS the Company has been granted an import licence/release order No.——————— for import of raw materials and components of the c.i.f. value of Rs. . . . . AND WHEREAS as a condition of the said import licence/release order the Government has stipulated that the Company must earn foreign exchange to the extent of Rs. . . over a period of. . . . . months from the date of importation of the first consignment into India or the supply of raw material by the canalising agency against the subject licence/release order by exporting . . . .,

NOW this agreement witnesseth as follows :-

1 The Company shall earn foreign exchange for an F.O.B. value of Rs . . . . . by exporting . . . . . within a period of . . . . . months as aforesaid (in the event of import licence/release order No . . . . . is not fully utilised by the said company, then the export obligation shall be proportionately scaled down). Exports to Sikkim and Bhutan will not qualify for redemption of export obligation as also exports to Afghanistan and Nepal, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of import obligation.

2. The Company shall furnish a report within one month of the expiry of the said period of export obligation to the concerned Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports in regard to exports made viz. the particulars of goods exported, their quantity and f.o.b. value and the countries to which exported All this data shall be duly certified by a Chartered Accountant.

3. The Company shall also submit to the concerned Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports within six months of the expiry of the period of export obligation as aforesaid, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports made. . . . . in fulfilment of the export obligations and as such other documents as may be demanded by the Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports as evidence in support of the foreign exchange earned in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

4. In the event of the Company is not able to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, the Company shall, on the instructions of the concerned Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, shall hand over to the State Trading Corporation or such other Agency as the Government including (C.C I. & E) may nominate (hereinafter referred to as the Agency) twice the difference between the stipulated export obligation and actual exports in terms of F.O.B. value of the products to be exported, for export by the Agency at such prices as is able to obtain abroad. The Company shall, in addition, pay simultaneously a sum of Rs. . . . . (this would be equal to 5 per cent of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs) by way of "liquidated damages" to the Agency. The Agency (after exports and realisation of sale proceeds of the aforesaid products as expeditiously as possible) shall give to the Company Rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such exports after taking such expenses (including the Agency's normal commission) as has been incurred by the Agency.

5. The F.O.B. value representing the difference between the stipulated export obligation and the actual exports referred to above and also the amount representing 5 per cent of the export obligation by way of "liquidated Damages" shall be determined by the Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports or Chief Controller of Imports and Exports and the decision of the said authority shall be final and binding on the company. While determining the value, the said authority will, if it is considered necessary, give an opportunity to the Company to produce such an evidence as it can, in support of the determination of the value for this purpose.

6. In the event of the Company failing to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, except when the fulfilment of such obligation is prevented or delayed, because of any law, order, proclamation, regulations or Ordinance of the Government, the Government shall be free to take possession of the goods produced

by the Company or of the imported raw material as the case may be, and take such action as it may consider necessary for the disposal/distribution in a manner and at a price as may be decided by the Government, in addition to recovering liquidated damages in terms of clauses. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding and the Company hereby undertakes to comply unconditionally with such an order. Any stamp duties payable on this document or any documents executed thereunder shall be borne by the Company.

In witness whereof the parties hereto have executed these presented on the

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1972

विषय —अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के दौरान निर्यात उत्पादन के लिए आयातित इस्पात का समरण—प्रत्याशित निर्यात आदेशों को निष्पादित करने के लिए इस्पात मदों के हेतु रिहाई आदेश जारी करना ।

संख्या 179—आई०टी०सी० (पी०एन०)/72—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 56-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 18 अप्रैल, 72 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार वे पंजीकृत निर्यातक जिन के पास निर्यात आदेश हैं उनके निष्पादन के लिए उन्हें आयातित इस्पात प्रदान किया जा रहा है और जिसके लिए देशी इस्पात की आवश्यक मात्रा उपलब्ध नहीं है ।

2 अल्प समय में माल छुड़ाने के लिए विदेशों से आदेशों को स्वीकार करने के लिए निर्माता निर्यातकों को समर्थ बनाने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि ऐसे पंजीकृत निर्यातकों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाए जिनका वार्षिक निर्यात निष्पादन अप्रैल, 1971—मार्च 1972 के दौरान या 31 अक्तूबर, 1972 को अप्रैल, 1972 सितम्बर, 72 के दौरान निम्नलिखित इस्पात मदों की श्रेणियों के लिए निर्यातकों के बफर भंडार के रूप में हिन्दुस्तान स्टील लि० पर रिहाई आदेशों को प्रदान किए जाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए मूल्य (जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य) का रहा हो —

(क) नर्म इस्पात बिलेट ।

(ख) नर्म इस्पात तार छड़ें ।

(ग) उच्च कार्बन की तार छड़ें ।

(घ) सलाखें तथा छड़ें ।

(ङ) तार राल्ड स्ट्रीप/स्केल्प ।

(च) नर्म इस्पात की कोनिया ।

(छ) अन्य निर्माण सामग्री जैसे—बीम, चैनल आदि ।

(ज) नर्म इस्पात की प्लेटें ।

(झ) हाट राल्ड/कोल्ड राल्ड शीटें ।

3. इस सार्वजनकि सूचना के अन्तर्गत पात्र किसी एक निर्यातक को इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक के रिहाई आदेश नहीं जारी किए जायेंगे तथा इन्हें इस रिहाई आदेश के जारी होने की तारीख से 18 माह के भीतर आगामी निर्यातों के मद्दे पूर्णत समायोजित किया जायगा। इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों से दिए जाने वाले आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को सम्बोधित किए जाने चाहिए तथा इन्हें अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता तथा डी०जी०टी०डी० (निर्यात संवर्धन कक्ष) के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है किन्तु लौहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है जब इस प्रकार के आवेदन किए जा रहे हों तो नीचे की कंडिका 6 में उल्लिखित बैंक गारंटी, कानूनी वचन-पत्र के प्रयोजनों के लिए निर्यात आभार का निश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए पार्टियों को चाहिए कि वे उन उत्पाद के प्रकार का उपर्युक्त कंडिका 2 में उल्लिखित इस्पात मदों की श्रेणियों की प्रतिशतता का तथा निर्यातों के सम्भावित जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का संकेत करें।

4 निर्यातकों को निर्यात उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए यथा संलग्न प्रपत्र में (अनुबंध I) इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार जारी किए गए विशेष रिहाई आदेशों तथा इन बफर भंडारों के विशेष उपयोग के मद्दे बफर भंडार के रूप में उत्पन्न की गई वास्तविक मात्रा का संकेत करते हुए अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिषद तथा डी०जी०टी०डी० (निर्यात संवर्धन कक्ष) के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के यहां आवधिक विवरणी भी जमा करना अपेक्षित है। रिहाई आदेशों के मद्दे निर्यातों के लिए उपयोग की गई मात्राओं का समायोजन केवल उसी सीमा तक अनुमेय होगा जिस सीमा तक डी०जी०टी०डी द्वारा उचित प्रमाणित किया जाएगा।

5. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार किए गए निर्यात यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या. 56–आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 18 अप्रैल, 72 के अन्तर्गत इस्पात के आगामी आयात के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन, इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर इस्पात का समरण ज० पी० सी० कीमत पर या हिन्दुस्तान स्टील लि० कीमत पर (जहां पर ज०पी० सी० कीमत उपलब्ध नहीं है) किया जाएगा तथा उस पर 2 प्रतिशत और जोड़ा जाएगा।

6 आवेदनों को उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लिखित अपेक्षित निर्यात आभार की पूर्ति के लिए जो रिहाई आदेश जारी किया गया है उसके लिए आयातित इस्पात के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को एक बैंक गारंटी देने की जरूरत होगी। निर्यातक निर्यातक अपने निर्यात आधार के सम्बन्ध में एक कानूनी वचन-पत्र (इस सार्वजनिक सूचना का अनुबंध II भी दे सकते हैं।

अनुबन्ध I

सार्वजनिक सूचना सख्या 179—आई०टी०सी० (पी० एन०) /72, दिनाक 6 दिसम्बर, 1972 के अधीन निर्यात उत्पादन के लिए आयातित इम्पात की मदो की प्राप्ति की त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ।

क्रम स०	पार्टी का नाम	रिहार्ट आदेश		रिहाई आदेश के मद्दे माल की अधि-प्राप्ति				निर्यातो के लिए उपयोग					अभ्यु-क्तिया
		सख्या	दिनाक	मात्रा (मी० टन)	मूल्य लाख रुपए	मात्रा (मी० टन)	दिनाक	निर्यात की मद	मात्रा (टनो मे)	निर्यात आदेशों का कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य (लाख रु०)	निर्यात का देश	निर्यात का दिनाक	दस्तावेजो साक्ष्य जैसे बैंक प्रमाण पत्र
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15

अनुबन्ध II

कानूनी बचनपत्र का प्रपत्र

आज तिथि.....माम..... 197 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन संस्थापित..... एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय.....में है (इसके बाद में जिसे 'कंम्पनी' कहा गया है, इस अभिव्यक्ति मे कम्पनी के उत्तराधिकारी और अधिन्यासी शामिल होंगे) एक पक्ष, और भारत के राष्ट्रपति (इसके बाद जिसे 'सरकार' कहा गया है, इस अभिव्यक्ति में कार्यालय में राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी शामिल होगा) दूसरे पक्ष के बीच एक समझौता हुआ । चूंकि कम्पनी को.....रुपये लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए एक आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश संख्या..... प्रदान किया गया है और चूंकि सरकार ने उक्त आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश की एक शर्त यह निर्धारित की है कि कम्पनी को.....के निर्यात द्वारा भारत में माल की प्रथम किश्त के आयात की तिथि से या अधीन लाइसेंस/रिहाई आदेश के आधार पर मारणीबद्ध एजेंसी द्वारा कच्चे माल के संभरण की तिथि से .....मासों की अवधि के भीतर..... रुपये की सीमा तक विदेशी मुद्रा अवश्य कमानी चाहिए,

अब इस समझौते का साक्ष्य इस प्रकार है :—

1. जैसा कि पहले कहा गया है कम्पनी .....महीनों की अवधि के भीतर.....के निर्यात द्वारा..... रुपये जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विदेशी मुद्रा कमाएगी । (यदि आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश संख्या.....का उक्त कम्पनी द्वारा पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया जाता है तो निर्यात दायित्व उसी अनुपात मे कम कर दिया जाएगा)। सिक्किम और भूटान को निर्यात करने से निर्यात दायित्व से छुटकारा नहीं मिल जाएगा जैसाकि अफगानिस्तान और नेपाल को भी मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए निर्यात करने से भिन्न तरीके से निर्यात करने पर आयात दायित्व से छुटकारा नहीं मिल जाएगा ।

2. निर्यात दायित्व की उक्त अवधी की समाप्ति के एक महीने के भीतर कम्पनी किए गए निर्यातों के सम्बन्ध में अर्थात् निर्यात किए गए माल के ब्यौरे, उसकी मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और जिन देशों को निर्यात किया गया है, उनके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सम्बद्ध संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत करेगी । ये सब आंकड़े एक सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित किए जाएंगे ।

3 कम्पनी यथापूर्वोक्त निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के ७ महीने के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा करने में.....को दिए गए निर्यातों के बदले विदेशी मुद्रा की वसूली प्रदर्शित करते हुए मूल बैंक प्रमाणपत्रों को भी सम्बद्ध संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत करेगी और इस समझौते की शर्तों को पूरा करने में कमाई गई विदेशी मुद्रा की पुष्टि में ऐसे अन्य साक्ष्य भी संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत करेगी जो उनके द्वारा मांगे जाएं ।

4. उपर्युक्त दिए गए वचन-पत्र के अनुसार कम्पनी द्वारा निर्यात दायित्व को न पूरा करने की स्थिति में, कम्पनी को, संबद्ध संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के अनुदेशानुसार राज्य व्यापार निगम या अन्य ऐसे ही अभिकरण जैसाकि सरकार (इसमें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात भी शामिल है) नामित करे (इसके बाद इसे अभिकरण की संज्ञा दी जाए) अभिकरण को उसके द्वारा उस कीमत पर निर्यात करने के लिए जिस कीमत को वह विदेश में प्राप्त करने के योग्य है, निर्धारित निर्यात आभार और निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अनुसार वास्तविक निर्यात में जो अन्तर है उससे दुगुना सौंपना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त, कम्पनी साथ ही साथ..... ..रुपये (यह निर्यात दायित्व के 5 प्रतिशत तक के बराबर और अधिक से अधिक 5 लाख रुपये होगा) "निर्धारित क्षति" के रूप में एजेंसी को अदा करेगी । अभिकरण (उपर्युक्त निर्यात तथा उत्पाद की बिक्री की वसूली के यथा शीघ्र बाद हो) कम्पनी को अपने द्वारा किए गए निर्यात से ऐसे खर्चे जो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए हैं, उन्हें शामिल करने के बाद, एजेंसी द्वारा कमाई गई वास्तविक विदेशी मुद्रा के बराबर रुपये (अभिकरण के सामान्य कमीशन को शामिल करते हुए) अदा करेगा ।

5. उपर्युक्त उल्लिखित निर्धारित निर्यात दायित्व तथा वास्तविक निर्यात को दर्शाने वाले जहाज पर निःशुल्क मूल्य का तथा "निर्धारित क्षति" के रूप में निर्यात आभार के 5 प्रतिशत को दर्शाने वाली धनराशि का निर्धारण संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात अथवा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा किया जाएगा और उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय कम्पनी के लिए अन्तिम तथा अनिवार्य होगा । मूल्य का निर्धारण करते समय उपर्युक्त प्राधिकारी, यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो कम्पनी को इस कार्य के लिए मूल्य के निर्धारण के समर्थन में एक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सुअवसर प्रदान करेगा जिसे वह दे सकती है ।

6. उपर्युक्त दिए गए वचन-पत्र के अनुसार कम्पनी द्वारा निर्यात दायित्व न पूरा करने की स्थिति में, किन्तु उस स्थिति को छोड़ कर जब कि ऐसे दायित्व सरकार के किसी कानून, आदेश, घोषणा, अधिनियम अथवा अध्यादेश के कारण रोके गए हैं या विलम्बित किए गए हैं सरकार को कम्पनी द्वारा उत्पादित माल या आयातित कच्चे माल को, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकार में लेने की स्वतंत्रता होगी और उसे उस कीमत पर जो उसके द्वारा निश्चित की जाए माल के निपटान करने/वितरण करने के लिए ऐसी कार्रवाई करने की भी जो आवश्यक समझी जाए, स्वतंत्रता होगी । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश अन्तिम तथा अनिवार्य होगा और कम्पनी एतद्द्वारा वचन देती है कि ऐसे आदेश का बिना शर्त पालन करेगी । इस दस्तावेज के लिए अथवा इसके अन्तर्गत निष्पादित अन्य किसी भी दस्तावेज के लिए अदा किए जाने वाले स्टाम्प पर कम्पनी द्वारा दिया जाएगा ।

जिन गवाहों की उपस्थिति में यहां पार्टियों ने दिनांक.....को इन्हें निष्पादित किया है ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972